**Seventeenth Loksabha**

an>

**Title: Need to enhance the quota of appointments on compassionate ground in companies carved out of Ordnance Factories**

**श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल):** रक्षा मंत्रालय द्वारा 41 आयुध निर्माणी का 7 कंपनी मे विभाजन होने के पश्चात् आयुध महानिदेशक के दि.10/10/2021 के पत्र अनुसार फिर से अनुकम्पा नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया गया है, लेकिन इस आदेश में अनुकम्पा नियुक्ति केन्द्रीय कर्मचारियों के अनुसार या निगम नियम अनुसार होगी, यह स्पष्ट नही किया गया है। अभी वर्तमान में आयुध निर्माणी में लगभग तीन हजार नियुक्ति प्रलंबित हैं और इनमे कोरोना काल में मृतक कर्मचारियों की संख्या के स्थान पर उनके आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने की संख्या बहुत अधिक है जबकि 2019 से अभी तक कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है जबकि प्रधानमंत्री जी ने दस लाख नौकरियों की घोषणा की है। जो अभी नियुक्तियां हो रही हैं इसमें अनुकम्पा का 5 प्रतिशत कोटा लागू किया गया है लेकिन आयुध निर्माणी में यह 5 प्रतिशत कोटा लागू होने से अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति होने के बाद भी सभी आश्रितों की अनुकम्पा आधारित नियुक्ति नहीं हो पा रही है है जबकि आयुध निर्माणी का 7 कंपनी मे विभाजन के बाद सभी अनुकम्पा नियुक्ति का ना होने से आने वाले दिनो में एक सामाजिक विरोधाभास होने की संभावना है।

अतः रक्षा मंत्रालय से अनुरोध है कि आयुध निर्माणी में अनुकंपा के आधार पर 5 प्रतिशत नियुक्ति के कोटा को बढ़ाकर और आश्रितों को एक बार छूट देकर मृतकों के आश्रितों को नौकरी में नियुक्ति देने हेतु आवश्यक कार्यवाई करें।